

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपरकड अधिकारी मुकाम सुभुन
 महेश पुत्र किशान जाति दर्जिदि वनाम तहमीलदार सुभुन
 महुदा शुर्द
 किसम मुकदमा नं. 84 सन 2018
 प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 136 अ-
 राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जरी हुए
367-18	<p>आज महे प्रा-पत्र प्राप्ती का जांच - तहमीलदार सुभुन के फांका नू अ०/2018/903 दिनांक 14-6-18 के द्वारा प्राप्त होने पर दर्ज रजि० किया जाकर प्रा-पत्र में वर्णित नथी व फौका जांच रिपोर्ट तहमीलदार का आयलोकग - किया गया। जिसके अनुसार महुदा शुर्द की जमाबन्दी संवत् 2074-71 के खाला 8063 में खालेदार वजरंग पुत्र किशाना महेश पुत्र किशाना व सावरमल पुत्र किशाना प्रत्येक का हिस्सा 1/24 दर्ज है जो कि हि 1/24 की वाजाय प्रत्येक का हिस्सा 1/12 दर्ज किया जाना की उचित लगाने हुए अपनी रिपोर्ट पेश की गई है प्रा-पत्र में वर्णित नथी व संलग्न राजस्व रिकार्ड व फौका जांच रिपोर्ट हल्का परिवारी। नू अ० गिरीसक इहलागपुर व अकिशाना तहमीलदार के आधार पर प्राप्ती का यह प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 136 अ- राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जागा व्यापकित है अतः आदेश उक्त विवेचन के आधार पर प्राप्ती का प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 136 अ- राजस्व अधिनियम - स्वीकार किया जाकर ग्राम महुदा शुर्द तहत</p>	

वर्ष
द्वारा

द्वारा या कार्यवाही का इतिहास

वहसील जुंजु की जमावती मायत 2014-2017 के, खाता नं 53 में वर्कमाफ के दर्ज प्रविष्टि अशुद्ध खातेदार बाजारंग पुत्र किशका भदरा पुत्र किशका व सावर पुत्र किशका अथवा का विद्या 1/24 की बाजाय प्रत्येक का विद्या 1/2 दर्ज एवं जाति स्वामी के स्थान पर जाति दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुबारा कर राजस्व रिकार्ड के अमल-दामद करने के आदेश दिये जाते हैं।
वहसील बाजार जुंजु की जाद आहकार दली जारी है। पक्कावली कमल कुमार होकर दर्ज बाजार से काम हो एक काड एकमील दादिण दफता है। आदेश आज रिकार्ड 26/7/2018 को सुनाया गया।


अध्यापक
द्वारा (स.स.)